

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री फुलाराम

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा - 131 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 117/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.11.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल रहे। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा तरमीम में सेहवन से आराजी नम्बर 1553/324 को आराजी नम्बर 323 के पास तरमीम कर दी गई है, जबकि उक्त भूमि का कब्जा आराजी नम्बर 1471/324 एवं 1477/1 के मध्य चला आ रहा हैं। आराजी नम्बर 1553/324 खातेदार फुलाराम पिता अम्बाव भील काबिज होने से इसी अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम को शुद्ध किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली के रिपोर्ट अनुसार मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी संख्या 1553/324 की राजस्व नक्शों में गलत तरमीम के रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमि की तरमीम नक्शों नामान्तरण पत्रावली में चस्पा नहीं हैं। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि पर पत्थर की कोट बना रखी है तथा कृषि कार्य कर रहा है प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज तरमीम कब्जे अनुसार नहीं हैं, जिसमें प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम को शुद्ध किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण के अवलोकन से उक्त नक्शा ट्रेस में त्रुटि होना प्रतीत होता हैं। संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम सही नहीं हुई हैं गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के साथ नक्शों में तरमीम की अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पेश किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1553/324 भूमि को राजस्व नक्शों में तहसीलदार मावली से प्राप्त प्रस्तावित नक्शों अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तरमीम हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

